<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,</u>
<u>(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।</u>
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1164/12A/2026
UPBH010033502026

बेचेलाल यादव, उम्र 68 वर्ष, पुत्र मंशाराम यादव, निवासी ग्राम कोदही, थाना बौण्ड़ी, जनपद बहराइच।

------ प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, बहराइच। ----------अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या 78/2026,
धारा 85, 80(2), 238 भा०न्या०सं०,
व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट,
थाना बौण्ड़ी, जनपद बहराइच।

<u>दिनाँक–02.06.2026</u>

1– यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त बेचेलाल यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 78/2026, अन्तर्गत धारा 85, 80(2), 238 भा०न्या०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना बौण्ड़ी, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने दिनाँक 28.05.2025 को अपनी बेटी माधुरी का ब्याह विपक्षी विनय के साथ किया था। विपक्षीगण वादी की बेटी को कम दहेज लाने का ताना देकर और अतिरिक्त दहेज की माँग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते थे। दिनाँक 22.04.2026 की सुबह वादी को जानकारी मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गयी है। वादी विपक्षीगण के यहाँ पहुँचा तो उसे जानकारी मिली कि वह लोग वादी की बेटी के शव को जला चुके हैं। विपक्षीगण ने दहेज की वजह से वादी की बेटी माधुरी की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को आनन–फानन में जला दिया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रथम सूचना में दर्शाये गये तथ्य पूरी तरह असत्य एवं काल्पनिक हैं। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि मृतका माधुरी गर्भवती थी। दिनाँक 19.04.26 को पेट में दर्द होने पर उसे इकाना हास्पिटल एण्ड़ मैटरनिटी सेण्टर फखरपुर ले जाकर इलाज कराया गया। वहाँ पर आराम न होने पर उसे अगले दिन दिनाँक 20.04.2026 को

महाराजा सुहेलदेव स्वशासी मेडिकल कालेज एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय बहराइच के महिला वार्ड़ में भर्ती कराया गया। इस दौरान प्रथम सूचक के पुत्रगण व प्रथम सूचक की पत्नी भी साथ में मौजूद थी। मृतका को आराम न होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में मृतका को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जोवियल हास्पिटल एण्ड़ ट्रामा सेण्टर और फिर अगले दिन किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज कराया गया। मृतका की हालत में सुधार न होने पर प्रथम सूचक के पुत्रगण व पत्नी ने अपनी जिम्मेदारी पर मृतका को डिस्चार्ज करा लिया और प्राइवेट एम्बुलेन्स से मृतका को घर के लिये लेकर निकल पड़े और लखनऊ से मात्र तीन–चार किलोमीटर पहुँचने के बाद ही मृतका माधुरी की मृत्यु हो गयी। घर पहुँच कर प्रथम सूचक के परिवार वालों के कहने पर ही मृतका का तमाम गाँव वालों की उपस्थिति में अन्तिम संस्कार कर दिया गया लेकिन बाद में लोगों के बहकावे में आकर प्रथम सूचक ने प्रार्थी/अभियुक्त से विवाह में दी गयी मोटर साइकिल व विवाह में खर्च हुए एक लाख चालीस हजार रुपये की माँग की गयी। पैसा न दे पाने पर प्रथम सूचक ने लोगों के बहकावे में आकर फर्जी एवं असत्य तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का रिश्ते में ससुर है और वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जाये।

4– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया है कि अभियुक्त मृतका का ससुर है। मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में ससुरालीजन की अभिरक्षा में हुई है। अभियुक्त द्वारा मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, दहेज हत्या करने व साक्ष्य विलोपित करने के आशय से मृतका के परिवार वालों के पहुँचने से पहले ही उसके शव को जलाकर अन्तिम संस्कार करने का गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः उसकी जमानत स्वीकार न की जाये।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बेचेलाल यादव जो कि मृतका का ससुर है, द्वारा मृतका को अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न होने के कारण उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने, दहेज हत्या कारित करने एवं साक्ष्य विलोपित करने के आशय से आनन–फानन में मृतका के शव को जलाकर अन्तिम संस्कार करने का आरोप अभियोजन द्वारा दर्शाया गया है तथा मृतका के शव के अधजले अवशेष भाग को फारेंसिक टीम द्वारा संकलित करने व पंचनामा की कार्यवाही नायब तहसीलदार महसी के निर्देश पर किये जाने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने धारा 180 भा०ना०सु०सं० के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए विपक्षीगण द्वारा शादी के बाद से ही मृतका माधुरी से अतिरिक्त दहेज में एक भैंस व अलमारी की माँग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा माँग पूरी न होने पर दहेज हत्या करने व साक्ष्य छिपाने हेतु बिना सूचना शव को जला देने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में यह भी कथन किया गया है कि दिनाँक 22.04.2026 की सुबह जब वादी को जानकारी मिली की माधुरी की मृत्यु हो गयी है तो वह अपने परिवार के लोगों के साथ विपक्षीगण के यहां पहुँचा तब जानकारी हुई कि विपक्षीगण ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतका के शव को जला दिया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी के भाई रामपाल यादव व मृतका के चचेरे भाई रामरूप यादव का प्रथम दृष्टया पुष्टिकारक बयान अन्तर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० में विवेचक ने केस डायरी में अंकित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण जले हुये शव

अवशेष को संरक्षित किया गया है। इस प्रकार प्रकट है कि मृतका की मृत्यु असामान्य व अस्वाभाविक परिस्थितियों में उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर उसके ससुरालीजन के संरक्षण में हुई है।

8– जहाँ तक जमानत प्रार्थना पत्र में लिये गये अन्य आधारों व संलग्न किये गये मेडिकल प्रपत्रों का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त मेडिकल प्रपत्र विवेचना का भाग न बनाये जाने के कारण साक्ष्य का विषय हैं तथा जमानत के स्तर पर जबकि विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र किता कर अवलोकनार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है तो उक्त प्रपत्रों का लाभ जमानत के स्तर पर अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

9– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस, अपराध की प्रकृति, केस डायरी में संकलित साक्ष्य, वादी के धारा 180 भा०ना०सु०सं० में किये गये कथन, अपराध के विषय में अभियुक्त की भूमिका व अपराध की गम्भीरता पर विचार करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त बेचेलाल यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 78/2026, अन्तर्गत धारा 85, 80(2), 238 भा०न्या०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना बौण्ड़ी, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(**बृजेश कुमार यादव**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
जे०ओ० कोड़–यू०पी० 1605

दिनांकः02.06.2026